न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक श्री इब्राहीम
पुत्र श्री नूरख्यां
जाति सांई नि. भकरी मौलास

मुकदमा नं. 6 /2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 11/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरी मौलास खसरा नम्बर 799 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै. मु. मोहल्ला (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री इब्राहीम पुत्र श्री नूरख्यां जाति सांई फजलखरीक निवासी भकरी मौलास (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ व डोल लगाकर अतिकमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलव किया गया। तलबी पर अप्रार्थी स्वयं बाद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा एवं किसीभी प्रकार का जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं किये अप्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरी मौलास के ख.न. 799 रकबा 0.1200 है. किस्म गै. मु. मोहल्ला पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ व डोल फजलखरीक कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया प्रति हैक्टर 6.00 का 50 गुणा रूपया 36.00 रुपये (रूपये छत्तीस रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

Scanned by CamScanner